

F.No.7(56)/E.III/78  
GOVERNMENT OF INDIA  
Ministry of Finance  
(Department of Expenditure)

New Delhi, the 31st January, 1985.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Removal of anomalies arising as a result of grant of qualification pay of Rs.15/- p.m. to Auditors in the Indian Audit and Accounts Department and Clerks, Grade II in the Railway Accounts Department, who have passed the Departmental Examination.

The undersigned is directed to refer to Para 3 of this Ministry's O.M. of even number dated 28th February, 1984 on the subject mentioned above, which provides that in respect of those Auditors who have passed the Departmental Examination prior to 1-1-1973 under the scheme then in vogue, if the pay plus qualification pay of the junior who qualified in such examination on or after 1-1-73, happens to be more than the pay of the senior who had passed the examination before 1-1-73, the difference may be granted as qualification pay to the senior with effect from the date of anomaly on a notional basis and the actual benefit may be admissible only from 1-6-1981.

2. It has been brought to this Ministry's notice that in the implementation of the above orders the anomaly in the pay of senior and junior is not removed completely in cases where the date of next increment of the junior happens to fall earlier than that of his senior as from such earlier date of increment the junior's pay again becomes higher. The matter has been considered in this Ministry and it has been decided that the existing para 3 of this Ministry's O.M. dated 28-2-1984 may be substituted by the following:

" The President is further pleased to decide that in respect of those Auditors who passed the Departmental Examination prior to 1-1-1973 under the Scheme then in vogue, if the pay plus qualification pay of the Junior who qualified in such examination on or after 1-1-1973, happens to be more than the pay of the senior who had passed the examination before 1-1-1973, the difference may be granted as qualification pay to the senior with effect from the date of anomaly on a notional basis and the actual benefit may be admissible only from 1-6-1981. In cases where the date of next increment in respect of the junior happens to fall earlier than that of the senior, the senior shall also be granted next increment on the same date as admissible to his junior. The qualification pay so granted may also be taken into account for the purpose of fixation of pay of the senior on his

promotion to the higher grade, irrespective of the fact whether the senior had been promoted before or on or after 1-6-1981. However, for the period prior to 1-6-1981, they will not be entitled to any arrears."

3. These orders will also be applicable to other Departments, where the benefit of qualification pay of Rs.15/- p.m. as admissible under this Ministry's O.M. No.7(56)/E.III(A)/78 dated 25-9-1981 has been extended in consultation with this Ministry.

4. In so far as the employees serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders issue in consultation with the C&AG of India.


  
(M.S.Mathur)  
Director(C.)

To,

1. C&AG, New Delhi.
2. Ministry of Railways(Railway Board) New Delhi.
3. C.G.A. New Delhi.
4. Cabinet Secretariat, New Delhi.
5. D.G. P&T, New Delhi.

Copy forwarded to:-

1. DP&AR w.r.to their U.O.No.382/84/PU-I dated 3-1-85.
2. Secretary, Staff Side, National Council(JCM), 9,Ashoka Road, New Delhi.
3. Controller of Accounts, Ministry of Railways, New Delhi.

  
(M.S.Mathur)  
Director (C.)

सं. संख्या-756/संस्था 0111/78

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1985

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग के लेखापरीक्षकों तथा रेलवे लेखा विभाग के ग्रेड II लिपिकों को, जिन्होंने विभागीय परीक्षा पास कर ली है, प्रतिमास 15 स्मर के अर्हता वेतन की मंजूरी के फलस्वरूप उत्पन्न विसंगतियों का दूर किया जाना।

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 28 फरवरी, 1984 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के पैरा 3 का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें यह व्यवस्था है कि उन लेखापरीक्षकों के संबंध में जिन्होंने उस समय प्रचलित स्कीम के अन्तर्गत 1.1.1973 से पहले विभागीय परीक्षा पास कर ली है यदि उन कनिष्ठ लेखा परीक्षकों का वेतन तथा अर्हता वेतन, जिन्होंने ऐसी परीक्षा 1.1.73 को या उसके बाद पास की है उन वरिष्ठ लेखापरीक्षकों के वेतन से जिन्होंने 1.1.73 से पहले परीक्षा पास कर ली है, अधिक होता है तो वह अंतर वरिष्ठ लेखा परीक्षकों को सैद्धांतिक आधार पर विसंगति की तारीख से अर्हता वेतन के स्तर में स्वीकार कर दिया जाए तथा वास्तविक लाभ केवल 1.6.1981 से ही ग्राह्य हो।

इस मंत्रालय के ध्यान में लाया गया है कि उपर्युक्त आदेशों का कार्यान्वयन करने में वरिष्ठ तथा कनिष्ठ के वेतन की असंगति को उन मामलों में पूर्णतः दूर नहीं किया गया है जहां कनिष्ठ लेखापरीक्षक की अगली वेतन वृद्धि की तारीख उस से वरिष्ठ लेखापरीक्षक से पहले पड़ती हो, क्योंकि कि इस तरह वेतन वृद्धि की तारीख पहले होने से कनिष्ठ लेखापरीक्षक का वेतन फिर अधिक हो जाता है। इस मंत्रालय में इस मामले पर विचार किया गया है तथा यह निर्णय लिया गया है कि इस मंत्रालय के दिनांक 28.2.1984 के कार्यालय ज्ञापन के विद्यमान पैरा 3 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :

" राष्ट्रपति जी ने यह भी निर्णय लिया है कि उन लेखा परीक्षकों के संबंध में जिन्होंने उस समय प्रचलित स्कीम के अन्तर्गत 1.1.1973 से पहले विभागीय परीक्षा पास कर ली है, यदि उन कनिष्ठ

लेखापरीक्षकों का वेतन तथा अर्हता वेतन जिन्होंने ऐसी परीक्षा 1.1.73 को या उसके बाद पास की है, उन वरिष्ठ लेखापरीक्षकों के वेतन से जिन्होंने 1.1.73 से पहले परीक्षा पास कर ली है, अधिक होता है तो वह अंतर वरिष्ठ लेखापरीक्षकों को सैद्धांतिक आधार पर विसंगति की तारीख से अर्हता वेतन के रूप में स्वीकार कर दिया जाए तथा वास्तविक लाभ केवल 1.6.1981 से ही ग्राह्य हो। उन मामलों में जहां कनिष्ठ लेखापरीक्षक की अगली वेतन वृद्धि की तारीख उस से वरिष्ठ लेखापरीक्षक से पहले पड़ती हो, वहां वरिष्ठ लेखापरीक्षक को भी अगली वेतन-वृद्धि उसी तारीख से मंजूर की जाएगी जिस तारीख से उससे कनिष्ठ लेखापरीक्षक को ग्राह्य है। इस तरह मंजूर किये गये अर्हता वेतन को, इस तथ्य के बावजूद भी कि वरिष्ठ लेखापरीक्षक की पदोन्नति 1.6.81 से पहले, या 1.6.81 को या 1.6.81 के बाद हुई थी, उच्च ग्रेड में पदोन्नति होने पर वरिष्ठ लेखापरीक्षक के वेतन नियतन के प्रयोजन के लिए भी ध्यान में रखा जाएगा परंतु 1.6.1981 से पहले की अवधि के लिए, किसी प्रकार के बकाया के हकदार नहीं होंगे।

3. ये आदेश उन अन्य विभागों पर भी लागू होंगे जहां इस मंत्रालय के दिनांक 25.9.1981 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7566 संस्था 0111 क/78 के अन्तर्गत ग्राह्य 15 रुपए प्रतिमास के अर्हता वेतन का लाभ इस मंत्रालय के साथ परामर्श करके बढ़ाया गया है।

4. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों का सम्बन्ध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक से परामर्श करके जारी किए गए हैं।

महाशंकरमाधुर

§ एम०एस० माधुर §  
निदेशक § सी०

सेवा में,

1. नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली
2. रेल मंत्रालय § रेलवे बोर्ड § नई दिल्ली
3. महा लेखा नियंत्रक, नई दिल्ली

4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
5. डाक व तार महा निदेशालय, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:—

1. कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग को उनके दिनांक 3.1.1985 के अशा०संख्या-382/85 पी०यू०I के संदर्भ में।
2. सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद ॥जे०सी०एम०॥ 9 अशोक रोड, नई दिल्ली
3. लेखा नियंत्रक, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली ।

महासचिव

॥ एम०एस० माथुर ॥  
निदेशक ॥सी०॥

॥ द. रावत ॥

